'Entertainment industry has expanded India's cultural influence since 1991'

35 years of liberalisation

FROM PAGE 1

PHOTO: COMPANY

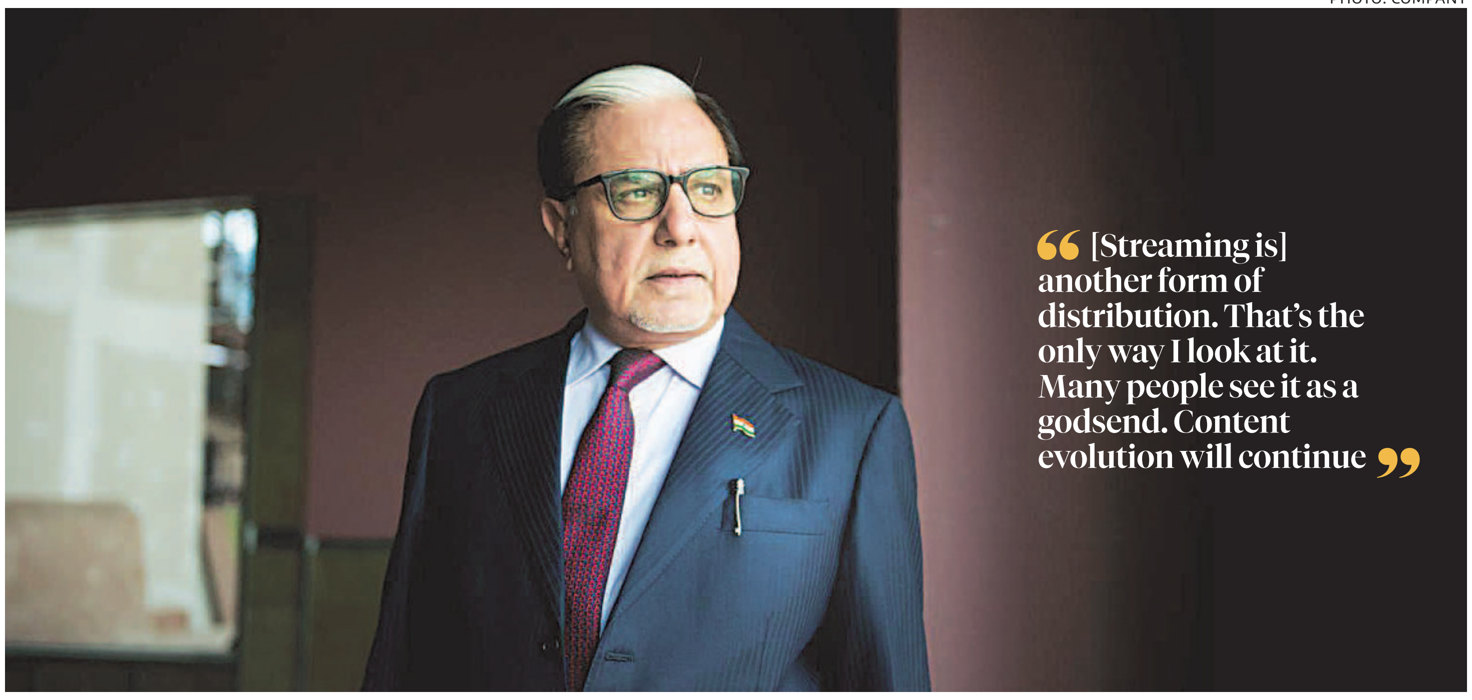

Subhash Chandra, chairman of Essel Group and founder and chairman emeritus of Zee Entertainment Enterprises

In 2000, the ambition was that M&E would be to the Indian economy what IT had been. Where does it stand today?

■ In terms of employment generation, it has done that. But it has not had the impact it should have had because it is still divided. There are four parts of this business. The content creators (producer community), broadcasters, MSOs (multi-system operators) and last-mile cable operators. All of them work in silos. Despite the best efforts, even by me, we have not succeeded in bringing the four of them together under one platform to work as an industry.

DD Freedish and YouTube are the fastest growing part of the video business. TV seems to be in decline. Is it a sunset industry?

■ This is the narrative that global tech firms have spread. And because they are paying a higher commission to media buyers they are succeeding. Like I mentioned, our industry is divided. We fight with each other. As a result, we do not have a voice.

But doesn't the regulator have a role to play? It micro-manages everything from channel pricing to ratings but has no outlook on the bigger picture.

■ Unfortunately, India is the only large economy where the regulator has limited say. It is considered more of a recommendatory body. They have recommended a few things that have been with the government for the last couple of years. The government is neither accepting nor rejecting it.

If you could change something in the last 35 years what would it be?

■ I would free up this industry from regulation, other than in content. It is not free today.

Free in what way?

■ Everything other than issues of national security and content that can corrupt young minds. Here, the reverse is happening. The content that is corrupting young minds is freely available on platforms like YouTube and Facebook.

The valuation of the teams in the IPL (Indian Premier League) or its media rights prices keep going up. Any comments on how the sports media ecosystem has built up, given Zee's various attempts at getting into cricket and other sports?

■ I do not want to comment on that. But I can tell you that Zee is helping sports bodies create good IPR (intellectual property rights) in which we will also share.

What difference has streaming made to the business?

■ It is a natural progression. From a satellite-delivered, analogue, traditional way of seeing content, you are now seeing it through the internet. It's another form of distribution. That's the only way I look at it. Many people see it as a godsend. Content evolution will continue. After shorts, immersive content will come.

Where do you think the M&E business is headed in India?

■ It will continue to grow. And so will TV. I hope and wish the industry comes together and does not let people waste their money on false narratives attempted by certain biggies.

Solar cell capacity to reach 100 Gw in a year: MNRE secy

NANDINI KESHARI
New Delhi, 7 August

MNRE Secretary Santosh Sarangi said the government is working on a scheme to encourage polysilicon manufacturing units

India's solar cell manufacturing capacity is expected to rise to 100 gigawatt (Gw) within a year from the current 32 Gw, Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) Secretary Santosh Sarangi said on Friday.

Wafer and ingot manufacturing capacity is also expected to reach 80 Gw by June 2028, when the approved list of models and manufacturers (ALMM) policy for these upstream components comes into effect.

Sarangi said the government was also working on a support scheme to encourage polysilicon manufacturing in the country.

The average power procurement cost (APPC) for distribution companies (discoms) could fall from ₹5.20 per unit currently to ₹4.85 per unit with greater adoption of combinations such as solar and wind, solar and battery energy storage systems (BESS), and round-the-clock renewable energy (RE-RTC), he said.

He was speaking at the International Energy Conference and Exhibition, organised by the Confederation of Indian Industry (CII). "It will make Indian industries more competitive, enable data centres to expand at a much larger scale, and accelerate the green transition and the journey towards net zero," he said.

The MNRE secretary also said the national-level APPC for discoms had either remained stagnant or declined over the past three years due to the infusion of cheaper renewable energy into their portfolios. The Solar Energy Corporation of India's (SECI's) latest tender for round-the-clock renewable energy, with 90 per cent assured availability in each time block, discovered a tariff of ₹5.25 per unit, he said.

On green hydrogen, Sarangi said the government was undertaking several pilot projects to support green methanol supply to the shipping industry. SECI has also floated a tender for 500,000 tonnes of green methanol to aggregate demand and supply for shipping companies.

ACCENT REGION

UTTAR PRADESH

Industrial infra gets fresh push

VIRENDRA SINGH RAWAT
Lucknow, 7 August

The Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) has approved the layout plans for two industrial areas in Fatehpur and Ayodhya districts at its 51st board meeting held earlier this week. This decision by the nodal agency aims to catalyse planned industrial development, systematic land use, faster plot allotment, and scale up infrastructure for encouraging new investments, while establishing the state as an industrial hub.

As of now, there are 165 industrial areas across 17 districts.

According to UP Additional Chief Secretary, Infrastructure & Industrial Development and UPSIDA Chairman Alok Kumar, the policy will facilitate the revival of dormant industrial assets, encourage investments, restore production, create employment, and foster effective utilisation of industrial land. He underlined that Purvanchal expressway, Ganga expressway, Bundelkhand expressway, dedicated freight corridor, and the emerging multimodal logistics network are integrating the state's industrial areas with domestic and global supply chains.

This will reduce logistics costs, enhance industrial competitiveness, and support the development of world-class industrial clusters in the state, he added.

"The state government's investor-friendly policies and rapidly expanding connectivity network have created an ecosystem for manufacturing and industrial growth," he added.

The UPSIDA Board has approved ₹9,000 crore in its FY27 annual Budget, compared with nearly ₹4,500 crore in FY26. It also approved proposals for land acquisition and purchase for the development of new industrial areas.

RAJASTHAN

₹2,101 cr cleared for over 3K missing-link roads

ANIL SHARMA
Jaipur, 7 August

The Rajasthan government has approved the construction of 3,232 missing-link and non-patchable roads at a cost of ₹2,101 crore, in accordance with the 2026-27 Budget announcement. The move aims to strengthen road connectivity across the state, said a senior official of the Public Works Department (PwD).

"These projects will involve the construction of roads with a total length of 6,418.43 km across 187 assembly constituencies in the state," he added.

Deputy Chief Minister Diya Kumari said that connecting every village, town, and city in the state with a high-quality road network is the government's top priority. She said that the government is working with unwavering commitment to strengthen the road network.

She noted that these projects would facilitate easier movement in rural and remote areas, boost economic activity, and accelerate development.

"The government is committed to ensuring that a quality road network reaches every region of the state and that the benefits of development extend to the last person in the queue," the Deputy CM said.

Giving an example, the official said that under this approval, a total of 54 roads will be constructed across three assembly constituencies in Balotra district. These roads will have a combined length of 145.95 kilometers, with an expenditure of around ₹35 crore.

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड

ACRE MAKING ASSETS WORK

कॉरपोरेट कार्यालय : यूनिट नं. 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नं. सी–66, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051 पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोज कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लेखित ऋणधारक को मांग सूचना जारी कर उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लेखित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। ऋणधारक द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणधारक तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लेखित तिथियों पर यहाँ वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेनदेन न करें तथा संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन **एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा।

ऋणधारक / सह–ऋणधारक / गारंटर के नाम / ऋण खाता सं.	संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	मांग सूचना में दर्शाई गई राशि (रु. में)
LBLF080524AK458 अमित गुप्ता (पुत्र राम चंदर गुप्ता) ऋणधारक; किरण देवी (पत्नी अमित गुप्ता) सह–ऋणधारक	आवासीय मकान नं./प्लॉट नं. ए–9, तृतीय तल, पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर, नई दिल्ली – 110008 नामक कॉलोनी में स्थित, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज। सीमाएँ :– पूर्व : वास्तविकता के अनुसार, पश्चिम : वास्तविकता के अनुसार, उत्तर : वास्तविकता के अनुसार, दक्षिण : वास्तविकता के अनुसार।	11–मई –2026	04 अगस्त 2026	रु. 5,59,311/– + ब्याज तथा लागतें
LBLF170124AJ669 श्री बादल (पुत्र श्री विनोद कुमार) ऋणधारक; विनोद कुमार (पुत्र मान सिंह) सह–ऋणधारक; शकुंतला (पत्नी विनोद कुमार) सह–ऋणधारक	मकान नं. 46/176आर/1, खसरा नं. 102 से 105 का भाग, राम नगर (जगदीशपुरा), तहसील व जिला – आगरा, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 134.22 वर्ग गज। सीमाएँ :– पूर्व : राजकुमार की संपत्ति, पश्चिम : 6 फीट चौड़ी गली तथा निकास, उत्तर : मोहन सिंह का मकान, दक्षिण : विजय कुमार की संपत्ति।	11–मई –2026	05 अगस्त 2026	रु. 8,53,817/– + ब्याज तथा लागतें

उपरोक्त उल्लेखित ऋणधारक/सह–ऋणधारक/गारंटर को एतद्वारा राशि का भुगतान करने हेतु 30 दिनों की सूचना दी जाती है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 तथा 9 के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर बंधक रखी गई संपत्ति को बेच दिया जाएगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने (छुड़ाने) के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथि : 08–08–2026, स्थान : दिल्ली

(प्राधिकृत अधिकारी)
एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मूल बिक्री विलेख दिनांक 25.01.2017, जिसे श्री महाकार सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह ने श्रीमती सपना पत्नी श्री नरेंद्र सिंह के पक्ष में, खेत नंबर 653 में से क्षेत्रफल 58 वर्ग गज वाले आवासीय प्लॉट के लिए निष्पादित किया था, जो गांव कुलेसरा परगना दादरी तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसका विधिवत पंजीकृत दस्तावेज संख्या 1474 खो गई है और उपलब्ध नहीं है। खोए हुए विलेख के लिए FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है। अब, श्री दिलीप आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड से इस संपत्ति पर ऋण ले रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को उक्त संपत्ति में कोई प्रभार/हित/स्वामित्व है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में वर्तमान से 07 दिनों के भीतर सूचित करें।

सहवाज शेख, अधिवक्ता
वरिष्ठ विधि प्रबंधक, नॉर्थ आई एडवाइजर्स
बी–220, द्वितीय तल, नोएडा वन, टावर–बी, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201309 ईमेल आईडी– ncr@northeye.co.in
संपर्क संख्या– 7294177027

AXIS BANK

रिटेल एस्सेट्स सेंटर, एक्सिस बैंक लि., एक्सिस हाउस, टॉवर 2, दूसरी मंजिल, आई–14, सेक्टर 14, सेक्टर 128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विश्वटाउन, नोएडा (उ.प्र.) 201301, एक्सिस बैंक लिमिटेड, हिमायल हाउस, अपर ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 निगमित कार्यालय : ब्लॉक बी बोम्बे डायिंग मिल्स कम्पाउंड, पांडुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 025 पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद 380006

मांग सूचना

चूंकि, यहां नीचे वर्णित ऋणियों/सह–ऋणियों/गारंटरों/गिरवीकर्ताओं ने एक्सिस बैंक लिमिटेड से वित्तीय सहायता ली थी। हम बताते हैं कि वित्तीय सहायता लेने के बावजूद, ऋणियों/गारंटरों/गिरवीकर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज के पुनर्भुगतान व मूल राशि को पूरा करने कई बार असफल रहे। खाते को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशा–निर्देशों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर गैर परफार्मिंग एस्सेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों आदि और सूचनाओं में वर्णित राशि पर अनुबंध दर पर भावी ब्याज के साथ सूचनाओं में वर्णित राशि का भुगतान करने हेतु निम्नलिखित ऋणियों, गारंटरों, गिरवीकर्ताओं को बुलाने के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं। उनके अंतिम ज्ञात पतों पर उन्हें जारी सूचनाओं को बिना कार्यवाही के वापस भेज दिया गया और इसलिए उन्हें इसकी सूचना सार्वजनिक सूचना के द्वारा दी जा रही है।

ऋणी का नाम व पता / सह–ऋणी व गारंटर का नाम	प्रतिभूतित परिसंपत्तियों की संपत्ति पता	एनपीए तिथि / मांग सूचना की तिथि
1. मैसर्स आर एस मैन पॉवर इसके मालिक श्री राजवीर सिंह सैनी के माध्यम से गली नं. 3, पैक रोड, सुभाष नगर पैक गेट के सामने ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखंड 249407 .... ऋणी 2. श्री राजवीर सिंह सैनी पुत्र रमेश चंद सैनी के माध्यम से मकन नं. 50, गली नं. 3, शिवधाम कॉलेनी, पैक गेट नं. 3, सुभाष नगर पोस्ट ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखंड 249407 ....सह–ऋणी	एक आवासीय परिसर के सभी भाग व शेष, भूमि के प्लॉट पर निर्मित माप पूर्व में : 15 फुट, पश्चिम : 15 फुट, उत्तर : 42.5 फुट, दक्षिण : 42.5 फुट कुल क्षेत्र 637.5 वर्ग फुट या 59.25 वर्ग मीटर, खसरा नं. 619 एमआई के भाग से संबंधित गांव रानीपुर (अंडर हादूद) परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार, उसपर सभी बिल्डिंग व स्ट्रक्चर के साथ, फिक्चर्स फिटिंग्स व जमीन से जुड़े या जमीन से अलग सभी प्लांट व मशीनरी के साथ सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व : सेलर की भूमि, पश्चिम : 20 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तर : आरती का प्लॉट, दक्षिण : प्लॉट नं. 31	26.02.2026 16.06.2026 **ऋण राशि (रु.)** रु. 40,00,000/– **बकाया राशि (रु.) सूचना की तिथि तक** रु. 39,81,772.13

उपरोक्त अनुसार परिस्थितियों में, एतदद्वारा उक्त ऋणियों, सह–ऋणियों और/या उनके गारंटरों (जहां कहीं लागू हो) को सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज व लागू शुल्कों के सहित उक्त वर्णित अनुसार बकाया देयों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, असफल होने पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) और उसके तहत लागू नियमों के अंतर्गत ऋणियों और गिरवीकर्ताओं की प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित प्रतिभूतित परिसंपत्तियों के लिए सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। कृपया सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है जहां आप सार्वजनिक नीलामी, मद आमंत्रित कर, सार्वजनिक या निजी समझौते द्वारा प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों) की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि तक केवल बैंक द्वारा व्यय खर्च, सभी लागतों, शुल्कों सहित बकाया देयों की पूरी राशि को पूरा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि बैंक द्वारा व्यय खर्च, सभी लागतों, शुल्कों सहित बकाया देयों की पूरी राशि सार्वजनिक नीलामी, मद आमंत्रित कर, सार्वजनिक या निजी समझौते द्वारा प्रतिभूतित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन से पहले पूरा नहीं करते हैं तो आप प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों) को छुड़ाने के लिए पात्र नहीं होंगे। **कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, कोई भी ऋणी प्रतिभूतित ऋणदाता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना सूचना में संदर्भित उसकी प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को बिक्री, लीज या अन्यथा द्वारा हस्तांतरण नहीं करेगा।**

दिनांक : 08.08.2026, स्थान : उत्तराखंड

प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जनपद केंद्र, नई दिल्ली– 110025, सीआईएन : यू65900डीएल2020पीएलसी366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता, जिन्होंने **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,** इसका प्रधान कार्यालय : **तृतीय तल, एड इंडिया टॉवर, सेक्टर 125, नोएडा– 201303** में स्थित है, से ऋण सुविधायें प्राप्त की हैं, वे **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** को उनकी ऋण सुविधाओं के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं, और इसके परिणामस्वरूप उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ताओं ने **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** को अचल संपत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई है, जिसका विवरण यहाँ इसमें नीचे वर्णित है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को उधारकर्ताओं द्वारा देय ऋण तथा बकाया राशियों का विवरण, तिथि के अनुसार, नीचे उल्लिखित किया गया है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं के साथ–साथ जनसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में निम्नलिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं के विरुद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के समक्ष दर्शाई गई बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्तियों का अधिग्रहण करने और उन्हें बेचने की शक्ति सम्मिलित है। जनसामान्य को सलाह दी जाती है कि वे यहाँ इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का लेन–देन न करें।

उधारकर्ताओं / गारंटर तथा बंधककर्ता का नाम	प्रतिभूत परिसंपत्तियों / संपत्ति का विवरण
1. **श्री शिव दत्त शर्मा पुत्र श्री हुकम चंद शर्मा (उधारकर्ता / बंधककर्ता), निवासी :** मकान संख्या 78, ग्राम बरौला, सेक्टर–49, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201304, 2. **श्रीमती सरोज बाला पत्नी श्री शिव दत्त शर्मा (सह–उधारकर्ता), निवासी :** मकान संख्या 78, ग्राम बरौला, सेक्टर–49, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201304, **अन्य पता :** 174, झाड़िया कॉलोनी, केसीएस पब्लिक स्कूल, सेक्टर–49, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201304, 3. **श्री त्रिलोक चंद पुत्र श्री लक्ष्मी चंद (सह–उधारकर्ता),** ग्राम बरौला, सेक्टर–49, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201304 **ऋण खाता सं., मांग सूचना तिथि तथा राशि:** **ऋण खाता संख्या : 100741010367, मांग सूचना तिथि : 06–08–2026, बकाया राशि : रु. 10,65,000/– (रुपये दस लाख पैंसठ हजार मात्र) 05–08–2026 के अनुसार** **एनपीए तिथि : 27–07–2026**	संपत्ति पर समन्यायिक बंधक का विवरण : आवासीय संपत्ति का समस्त भूखंड तथा भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 827, ग्राम बरौला, सेक्टर–49, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201304 में स्थित है। श्री शिव दत्त शर्मा पुत्र श्री हुकम चंद शर्मा के नाम पर। सीमाएं :– पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : आबादी / मवासी भूमि, उत्तर : आम रास्ता, दक्षिण : ओम दत्त की संपत्ति।

दिनांक : 06–08–2026, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

अलकैमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन नं.: U74999DL2002PLC117052
ए–270, पहली और दूसरी मंजिल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली–110024
ई–मेल : admin@alchemistarc.com, वेबसाइटः www.alchemistarc.com

कब्जा नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत)
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अलकैमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एसाइनमेंट करार दिनांकित 24.12.2025 के द्वारा एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का एसाइनी) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग नोटिस दि. **24 मार्च, 2026** जारी किया था जिसमें ऋण खाता सं. PR00908317 में कर्जदार **एसएमएस मेडिकल एजेंसी, भानु शर्मा और कविता** से नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 9,81,995/–** (रुपये नौ लाख इक्यासी हजार नौ सौ पिचानवे मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।

कर्जदार द्वारा राशि अदा न कर पाने पर, एतदद्वारा कर्जदार और जन सामान्य को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **05 अगस्त, 2026** को **कब्जा** ले लिया है।

कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) और सर्व साधारण को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन राशि रु. 9,81,995/– और इस पर ब्याज के लिए अलकैमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदारों/खातों का विवरण

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार(ओं)/ सह–कर्जदार(ओं)/ जमानती(ओं) के नाम	देय राशि (₹)	13(4) नोटिस की तारीख	प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण	देय तारीख
1	PR00908317	1. एसएमएस मेडिकल एजेंसी, 2. भानु शर्मा 3. कविता	रु. 9,81,995/– (रुपये नौ लाख इक्यासी हजार नौ सौ पिचानवे मात्र)	05 अगस्त, 2026	संपत्ति प्लॉट नं. 44, खसरा नं. 740, डी–32, राधापुरम, एनएच–22 मथुरा, गणेशरा रोड, मथुरा – 281004 के समस्त भाग व खंड। पूर्व– प्लॉट नं.–43, पश्चिम– प्लॉट नं.– 45, उत्तर– प्लॉट नं.– 17, दक्षिण– 18 फुट चौड़ा रोड	24 दिसंबर, 2025

कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) को एतदद्वारा यह चेतावनी दी जाती है कि वे ऊपर बताई गई प्रत्याभूत परिसंपत्ति(यों) का प्रत्याभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई लेन–देन न करें या बिक्री, पट्टे, बंधन, उस पर कोई भार या किसी अन्य तरीके से न ही उसका निपटारा करें।

यह प्रकाशन सरफासी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन में, कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) और सर्व साधारण की जानकारी के लिए किया गया है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति से निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क करें:

फोनः 011–46562584 ईमेलः admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com

दिनांकः 06.08.2026
स्थानः मथुरा

हस्ता./–(प्राधिकृत अधिकारी)
अलकैमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(अलकैमिस्ट XLVII ट्रस्ट के ट्रस्टी की क्षमता से कार्यरत) प्रत्याभूत ऋणदाता

सांकेतिक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई–400 051

कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जे.बी. नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400 059
शाखा कार्यालयः प्रथम तल, बी–20, आवास विकास, दिल्ली रोड, सहारनपुर–247001

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002, के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें नीचे वर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे दी गई तिथियों को प्राप्त कर लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड की बकाया राशि अदा करने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि (रू.)	शाखा का नाम
1.	सुमित कुमार (कर्जदार), अमित कुमार (सह–कर्जदार), रेणु गोयल (सह–कर्जदार), मेन रोड, निकट पीएनबी बैंक थानाभवन, शामली, शामली, सहारनपुर–247777, उत्तर प्रदेश, LHSAH00001551290	खसरा नबर 2080, प्लॉट, जो मोहल्ला जोगियाना कस्बा थाना भवन तहसील और जिला शामली उत्तर प्रदेश, शामली– शामली–247777 उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौहद्दी – उत्तर मेंः 18 फीट फिर कृषि, दक्षिण मेंः 18 फीट फिर 16 फीट चौड़ी रोड, पूर्व मेंः 29 फीट फिर नेहा का प्लॉट, पश्चिम मेंः 29 फीट फिर दीपा का प्लॉट / कब्जा की तिथि : 05–अगस्त–26	16–04–2026 रु. 13,29,481.02/–	सहारनपुर
2.	अमित कुमार (कर्जदार), प्रीति (सह–कर्जदार), खंडलाना सहारनपुर, पीएस तीतरो तहसील नकुड़ उत्तर प्रदेश सहारनपुर– 247341 उत्तर प्रदेश, LHSAH00001655259	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि खसरा नंबर 62 ग्राम पंथूपुरा परगना झिंझाना तहसील ऊन जिला शामली गंगोह सहारनपुर सहारनपुर–247341 उत्तर प्रदेश, चौहद्दी – 40 फीट फिर भूरा का मकान, उत्तरः 40 फीट फिर भूरा का मकान, दक्षिणः 40 फीट फिर 15 फीट चौड़ी सड़क, पूर्वः 26 फीट फिर अन्य का मकान, पश्चिमः 26 फीट फिर चंद्रभान का मकान / कब्जा की तिथि : 05–अगस्त–26	19–05–2026 रु. 19,99,879/–	सहारनपुर

उपरि–वर्णित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वे उक्त राशि का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दें अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर, उपरोक्त बंधक रखी सम्पत्तियां, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दी जाएंगी।

तिथि : 08 अगस्त, 2026
स्थान : शामली, सहारनपुर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

PG ELECTROPLAST LIMITED

PG

(CIN L32109DL2003PLC119416)
Regd. Office : DTJ209, DLF Tower B, Jasola, New Delhi-110025;
Tel-Fax: 011-41421439; Email: investors@pgel.in; Website: www.pgel.in

EXTRACTS OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

(Rs. In Lakhs except earnings per share)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
		June 30, 2026	March 31, 2026	March 31, 2026	June 30, 2026	March 31, 2026	March 31, 2026
1	Total income from operations	43129.06	35590.34	143,429.98	203,395.74	171,667.52	528,802.19
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	2,440.72	2,870.50	16,324.33	9,442.22	8,181.66	25,193.78
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	2,440.72	2,870.50	16,324.33	9,442.22	8,181.66	25,193.78
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional items and/or Extraordinary items)	1,820.54	2,160.08	12,367.41	7,621.83	6,486.38	19,656.69
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,845.22	2,215.58	12,466.13	7,656.65	6,666.72	19,795.95
6	Equity share capital of face value Rs.1/- each	2,855.87	2,853.43	2853.43	2855.87	2853.43	2853.43
7	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as on 31st March 2026			264,984.89			302,005.25
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) Basic	0.64	0.74	4.35	2.67	2.27	6.91
9	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) Diluted	0.63	0.74	4.29	2.65	2.25	6.82

Note:- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the website of the Company at www.pgel.in.

Place: Pune, Maharashtra
Dated: August 06, 2026

Scan QR code for Financial Results

For PG Electroplast Limited
Sd/-
Vishal Gupta
Managing Director - Finance
DIN: 00184809

MAKE IN INDIA

एजी वेंचर्स लिमिटेड

(पूर्व में ओरिएंटल कॉर्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
CIN: L64990UW1978PLC249903
पंजीकृत कार्यालयः चौदहवीं मंजिल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड टावर, प्लॉट सं. सी-1, नोएडा सेक्टर 16, गौतम बुद्ध नगर - 201301, उत्तर प्रदेश, भारत
ईमेलः investors@agventures.co.in; वेबसाइटः www.agventuresltd.com

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामो का सारांश

(रु. लाख में, प्रति शेयर आंकड़े के अलावा)

क्र सं	विवरण	एकल				समेकित			
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30 जून, 2026 (अलेखा परीक्षित)	31 मार्च 2026 (लेखा परीक्षित)	30 जून, 2025 (अलेखा परीक्षित)	31 मार्च 2026 (लेखा परीक्षित)	30 जून, 2026 (अलेखा परीक्षित)	31 मार्च 2026 (लेखा परीक्षित)	30 जून, 2025 (अलेखा परीक्षित)	31 मार्च 2026 (लेखा परीक्षित)
1	परिचालनों से राजस्व	2,599.67	45.79	227.02	2,573.86	4,905.17	2,521.87	2,089.97	10,721.29
2	कर तथा असाधारण मदों से पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	2,367.49	(151.54)	63.77	5.44	2,487.67	22.35	226.68	603.00
3	असाधारण मदें - लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	कर पूर्व अवधि एवं असाधारण मदों के उपरांत निवल लाभ/(हानि)	2,367.49	(151.54)	63.77	5.44	2,487.67	22.35	226.68	603.00
5	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	2,027.23	(61.63)	254.52	319.75	2,210.51	56.52	378.55	750.28
6	अवधि हेतु कुल व्यापक आय {अवधि (करोपरांत) के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (करोपरांत) सम्मिलित}	2,025.16	(71.00)	254.52	248.10	2,210.51	56.52	378.55	750.28
7	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रत्येक रु. 10/-)	999.01	999.01	999.01	999.01	999.01	999.01	999.01	999.01
8	अन्य इक्विटी, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के अलावा	-	-	-	24,576.76	-	-	-	26,078.49
9	प्रति शेयर उपार्जन (अंकित मूल्य प्रत्येक रु. 10/-) (समाप्त वर्ष के अलावा वार्षिक आधार पर नहीं) बेसिक एवं डाइलूटेड (रु.)	20.29	(0.62)	2.55	3.20	20.76	(0.02)	3.17	5.08

टिप्पणी:

1. ऊपर उल्लेखित परिणामों की लेखा परीक्षण कमिटी द्वारा समीक्षा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा 07 अगस्त, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अनुमोदित कर दिया गया है।
2. ऊपर उल्लिखित विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, **www.bseindia.com** तथा कंपनी की वेबसाइट **www.agventuresltd.com** पर उपलब्ध है तथा नीचे उल्लेखित क्विक रिस्पॉन्स कोड स्कैन कर भी देखे जा सकते हैं।

AG Ventures Website

BSE Website QR Code

स्थान : नोएडा
तारीख : 07 अगस्त, 2026

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
(अरविंद गोयनका)
अध्यक्ष
डीआईएनः 00135653